राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक:प.6( )61( ) (आरएण्डपी/सकवि/ 22422-48 दिनांक: 4.5.90

समस्त जिला कलेक्टर्स,
....

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे अनेक प्रकरण लाये गये है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र तद्-संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमों को ध्यान में रख कर जारी नहीं किये जाते है परिणामस्वरूप अनेको वैधानिक जटिलताएं उपस्थित हो जाती है इसके अतिरिक्त यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी नही किये जाते है जिससे प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसे मामले भी सामने आ सकते है कि आवेदक राजस्थान का जन्मजात मूल निवासी न होकर वरन् भारत के किसी अन्य प्रान्त का निवासी हो और राजस्थान में नौकरी अथवा अध्ययन आदि के लिये आ गया है, को उसके पिता के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है किन्तु और अधिक सन्तुष्टि के लिये ऐसे प्रकरणों में आवेदक के मूल निवास स्थान से विस्तृत जांच कराकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के जो व्यक्ति अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में शिक्षा एवं रोजगार आदि के लिये चले जाते है, उनका अनुसूचित जाति/जनजाति का अपना दर्जा बना रहेगा लेकिन वे अनुसूचित जाति/जनजाति को देय रियायत/लाभ अपने मूल राज्य से पाने के हकदार होंगे न कि उस राज्य से जहां वे आकर रहने लगे हैं।

अतः प्राधिकृत अधिकारियों से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड के आधार पर तथा आवश्यक एवं विश्वसनीय जांच कराने के पश्चात् ही अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यह प्रमाण पत्र उसी स्थिति में जारी करेंगे जबकि आप स्वयं आवेदक की जाति से पूर्ण आश्वस्त हो चुके हों।

प्राधिकृत अधिकारी प्रायः राजपत्रित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि द्वारा किये गये [illegible] के आधार पर ही उक्त प्रमाणपत्र जारी कर देते हैं, जो सर्वथा गलत है। यह प्रमाण पत्र प्रायः राजस्व रिकार्ड, नगरपालिका रिकार्ड, हास्पिटल रिकार्ड, जैसे ठोस प्रमाण पत्र के आधार पर ही जारी किया जाना चाहिये। किंचित असावधानी व बिना पर्याप्त सत्यापन के गलत प्रमाणपत्र जारी हो जाने पर प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की तत्संबंधी धाराओं

क्रमशः....2.

06

...पा रहा ... सम्भव है। अत: समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देश है कि जाति ... अनुग्रहात्मक नियमों के अधीन ... जारी करते समय पूर्ण सावधानी बरते ताकि गलत प्रमाण पत्र जारी न हों यदि ... विषय में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो निदेशालय समाज कल्याण विभाग सेसम्पर्क ... जा सकता है। जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी तथा ... सम्बन्धी अनुदेश:

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी प्रतिकारगाही मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उपमण्डल मजिस्ट्रेट तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक (एक्जीक्यूटिव) मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/(प्रथम श्रेणी प्रतिकारगाही मजिस्ट्रेट से कम पद के नहीं)
2. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम पद का नहीं होना चाहिये।
3. उस क्षेत्र का उपमण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार/अथवा उसका परिवार रहता है।

उक्त अधिकारियों में प्रमाणकर्ता प्राधिकारी राष्ट्रपति के अनुसूचित जाति/जनजाति सम्बन्धी आदेश की अधिसूचना के समय जाति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति के स्थाई निवास से सम्बन्धित होना चाहिये अर्थात एक जिले का राजस्व अधिकारी किसी दूसरे जिले में रहने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम नहीं है। न ही किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र का कोई प्राधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसके स्थाई निवास का स्थान राष्ट्रपति के विशिष्ठ आदेश को अधिसूचित करने के समय किसी भिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र में रहा हो।

राष्ट्रपति के तत्सम्बन्धी आदेश को अधिसूचित किये जाने की तारीख के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों के मामले में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के माने जाने के प्रयोजन के लिये उनका निवास स्थान राष्ट्रपति के ऐसे आदेश की अधिसूचना की तारीख के समय, उनके माता-पिता के स्थाई निवास स्थान है जिनके अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का होने का दावा करते हैं।

शासन सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
राज0, जयपुर

क्रमांक प 11 (8)(...) आरएण्डपी/सकवि/22449-500 दिनांक: 4.4.90

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ... विभागाध्यक्ष,
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, ...
- ... राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- ... शासन सचिव, ... को उनके अर्धशासकीय टीप संख्या प-9 (30)... /89 दिनांक ...12.89 के क्रम में

उप निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर